

सं. 12080/27/2014-पीपी-1

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

(पौध संरक्षण प्रभाग)

सेवा में,

कीटनाशियों के सभी लाइसेंसधारी डीलर/ खुदरा विक्रेता ।

“ग्रो सैफ फूड”

नकली, घटिया, कम मानक वाले और बिना पंजीकृत / बिना लाइसेंस वाले कीटनाशकों से सावधान


आपको स्मरण होगा कि कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार ने अक्टूबर 2014 में अपने “ग्रो सैफ फूड” पहल के बारे में आपको अवगत कराया था जिसे कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेक पूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। पंजीकरण समिति द्वारा अनुमोदित लेबल दावों के अनुसार कीटनाशकों का प्रयोग मानव और पर्यावरण के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए महत्वपूर्ण है अतः कीटनाशकों का पंजीकरण, सुरक्षा का विस्तृत और सावधानी पूर्वक मूल्यांकन के पश्चात ही पंजीकरण समिति द्वारा विशिष्ट प्रयोग के लिए किया जाता है। अतः सभी थोक व्यापारियों और डीलरों की जिम्मेवारी बनती है कि वे केवल पंजीकृत कीटनाशकों का भंडारण, वितरण और बिक्री, पंजीकरण के नियम एवं शर्तों के अनुरूप ही करें।

2. सरकार का यह मानना है कि कीटनाशी के लाइसेंसधारी डीलर पंजीकृत कीटनाशकों के सही चयन करने, अनुमोदित लेबल एवं लीफलेट के अनुसार प्रयोग की मात्रा, समय और तरीके के बारे में अपने किसान ग्राहकों को सही जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा डीलर घटिया, नकली और कम मानक वाले कीटनाशकों एवं रसायनों से मिलावट वाले जैव-उत्पादों की बिक्री में प्रभावी बाधक बन सकते हैं। आपको ज्ञात है कि अपंजीकृत, घटिया, नकली और कम मानक वाले कीटनाशकों की बिक्री, वितरण और भंडारण कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन एक गंभीर अपराध है जिस पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अतः सभी स्टॉकिस्ट/ डीलरों को सलाह दी जाती है कि ऐसे असंवैधानिक कार्य- कलापों से अपने आपको विरत रखें तथा इन्हें रोकने में सरकार की सहायता करें।

3. सरकार सभी लाइसेंसधारी डीलरों और खुदरा विक्रेताओं से अनुरोध करती है कि वे “ग्रो सैफ फूड” अभियान के साथ अपने आपको जोड़े और इसमें सहभागी बने। आपका यह सहयोग हमारे देशवासियों के स्वास्थ्य और वातावरण सुरक्षित रखने में अत्यधिक उपयोगी होगा। आपके जानकारी हेतु कुछ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नीचे दिए गये हैं:-

- i. घटिया/ नकली उत्पादों की स्टॉकिंग/वितरण/प्रदर्शन/बिक्री से बचें ।
- ii. उन उत्पादों का भंडारण/ वितरण/ प्रदर्शन/ बिक्री न करें जिनका कीटनाशी अधिनियम,1968 और कीटनाशी नियमावली, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी वैध लाईसेंस न हों।
- iii. कानून के अंतर्गत कीटनाशियों की बिक्री, बिक्री के लिए प्रदर्शन या भंडारण या वितरण के लिए वैध कीटनाशी लाईसेंस होना अनिवार्य है।
- iv. कीटनाशी उत्पादों के सभी डीलर / खुदरा विक्रेता, उचित बिल / इनवाँयस के साथ वैध स्रोत से अपना स्टॉक खरीदें ।
- v. फसल संरक्षण उत्पादों की बिक्री के समय उपभोक्ताओं/ किसानों को बैच संख्या, विनिर्माण और समाप्ति तिथि के ब्यौरे बिल या इनवाइस में उपलब्ध कराएं।
- vi. कीट नाशकों को उनकी समाप्ति तारीख के बाद न बेचें ।
- vii. किसानों को कीटनाशियों के प्रयोग से पहले लेबलों और लीफलेट पर दिए गए अनुदेशों को पढ़ने की सलाह दें । कृपया लेबल और लीफलेटों को पढ़ने और उसके बारे में जानकारी देकर किसानों की मदद करें । कृपया किसानों या उपभोक्ताओं को ऐसी सलाह न दें जिसका कीटनाशी लेबल या लीफलेट में उल्लेख न हो।
- viii. किसानों और उपभोक्ताओं को कीटनाशियों के स्प्रे का समय, संख्या, मात्रा तथा अन्य कीटनाशियों के साथ मिश्रण की ऐसी सिफारिश न करें जो कीटनाशी लेबल या लीफलेट पर मुद्रित न हो ।
- ix. जिम्मेदार नागरिक की तरह कृपया नकली कीटनाशियों की बिक्री से संबंधित किसी भी सूचना के बारे में नजदीकी पुलिस स्टेशन/ कृषि कार्यालय को सूचित करें ।
- x. कृपया लेबलों और लीफलेट पर दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रमाणिक और गुणवत्तायुक्त उत्पादों और उनके उपयोग को बढ़ावा देने में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करें ।
- xi. कृपया पैकिंग और अप्रयुक्त सामग्री के उचित निपटान के बारे में किसानों को सलाह दें।
- xii. कृपया कीटनाशी अधिनियम, 1968, कीटनाशी नियमावली, 1971 और पंजीकरण समिति के दिशा निर्देशों का अध्ययन कर उससे मार्ग दर्शन ग्रहण करें ।

“ग्रो सैफ फूड” अभियान को सफल बनाने में आपके पूर्ण सहयोग की आकांक्षा सहित, †

भवदीय

(उत्पल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दिनांक: 22.04.2016